राजस्थान–सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

क्रमांकः:–जनसुनवाई /2024/328 दिनांक :–13.02.2024

प्रेषितः–

तहसीलदार
बाड़मेर ग्रामीण

विषयः– आवागमन हेतु रास्ता दिलवाने बाबत्।

प्रसंगः– आपका पत्रांक–जनसुनवाई/2024/225 दिनांक–08.02.2024।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि प्रार्थी श्री पदमाराम पुत्र पूनमाराम निवासी रावतसर द्वारा प्रस्तुत परिवाद में ग्राम रावतसर के खसरा संख्या 1770/181 में में से रास्ता खुलवाने हेतु आप द्वारा पुलिस बल की मांग की गई थी। अतः पुलिस बल की सहायता से उक्त रास्ता खोलने हेतु निर्धारित तिथि नियत कर रास्ता खुलवाया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

दिनांक :–13.02.2024

क्रमांकः:–जनसुनवाई /2024/329

प्रतिलिपिः–उप अधीक्षक पुलिस वृत बाड़मेर को प्रेषित कर लेख हैं कि ग्राम रावतसर के खसरा संख्या 1770/181 में से आवागमन हेतु रास्ता खुलवाने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को पुलिस जाब्ता उपलब्ध करवाएं।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

"निर्णय"

2/10/23 पत्रावली पेश हुई।

वकील प्रार्थी उप० एवं विप्रार्थी सं. 01 से 03 के वकील भी उप०। शेष विप्रार्थी गण के सम्मन तामिल, कोई हाजिर नहीं। प्रार्थी देवाराम की ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया है।

वकील प्रार्थी ने बहस में निवेदन किया है कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि मौजा बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 371/5/725 के रकबा 0.1376 हैक्टेयर व खसरा सं. 724 रकबा 4.5487 हैक्टेयर व खसरा सं. 532 रकबा 0.7284 हैक्टेयर की आयी हुई है। उक्त वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के आबादी खातेदारी की भूमि है, जिस पर प्रार्थी का कब्जा लगातार एवं निर्बाध रुप से चला आ रहा है। प्रार्थी के खेत के चारों तरफ कदीमी मार्ग स्थित हैं, उस पर पेड़-पौधे वर्षों पुराने लगे हुए हैं। प्रार्थी ने अपने कब्जे काश्त की भूमि पर चारों तरफ चीणे रोपकर तारबंदी की हुई है। विप्रार्थी सं. 01 से 06 व उसके परिवार वाले झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति होने के विवादग्रस्त भूमि के मेड़ो

सहायक कलक्टर
(SDO.) बाड़मेर

ख हुक्म

को जबरदस्ती तोड़कर प्रार्थी के खातेदारी की भूमि पर जबरदस्ती अवैध रूप से कब्जा करना चाहते हैं। वर्तमान में प्रार्थी की भूमि की कीमतों में आई अप्रत्याशित वृद्धि के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थी के खेत व कदीमी माठ को तोड़कर प्रार्थी की भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने व काश्त करने का प्रयास कर रहे हैं, लिहाजा प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष है। यदि अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक-हिस्से या वादग्रस्त भूमि पर निर्माण अथवा प्रार्थीगण को उसके कब्जे- काश्त की भूमि से वंचित कर अनाधिकृत कब्जा करने में सफल होते हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में संभव नहीं है, लिहाजा मौजा बाड़मेर मगरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 3715/725 के रकबा 0.1376 हैक्टेयर व खसरा से. 724 रकबा 4.5487 हैक्टेय तथा खसरा से. 532 रकबा 0.7284 हैक्टेयर भूमि में विप्रार्थी से. 01 से 06 मौके की यथास्थिति बनाए रखें। तथा प्रार्थी के पक्ष में व अ-

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के खातेदारी खेत में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, परिवर्तन, कच्चा-पक्का निर्माण कार्य नहीं करें।

अप्रार्थीगण 01 से 03 की बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण 01 से 03 ने बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थीगण सं. 01 से 03 द्वारा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि में कोई कब्जा कारित नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उनकी स्वयं की भूमि में कब्जा कारित है। प्रार्थी द्वारा अपने स्वयं की भूमि की मांडें तोड़ी हुई हैं तथा अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में कब्जा करने की कोशिश की जा रही है इसलिए प्रार्थीगण को भी वादग्रस्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाए।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त तथा पत्रावली एवं दस्तावेजों का अवलोकन कर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 01 से 06 सेढ़ा पड़ौसी हैं तथा दोनों के मध्य सेढ़ों को लेकर विवाद है। यदि उभयपक्ष को वादग्रस्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद

सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर